

प्रेषक,

डॉ रणबीर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग,

देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2014

विषय:-सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली, 2002 में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक- संख्या-4003/सै0क0/ सै0वि0गृह/नियमावली, दिनांक 28.02.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-423-सै0क0-0-29(सै0क0)/2002 दिनांक 08 नवम्बर, 2002, संशोधित शासनादेश संख्या-226/XVII(1)/04-09(सै0क0)29/2002 दिनांक 28 सितम्बर, 2004, शासनादेश संख्या-326/XVII(2)/07-29(सै0क0)/2002 दिनांक 13 सितम्बर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-33/XVII(2)/08-29(सै0क0)/2002 दिनांक 22 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या-255/XVII(2)/08-29(सै0क0)/2002 दिनांक 02.09.2008 द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली, 2002" के खण्ड-2 प्रस्तर-1 (ख) में निम्न आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम सं० | पैरा सन्दर्भ             | वर्तमान नियम   | संशोधित नियम   |
|----------|--------------------------|--|--|
| 1.       | खण्ड-2<br>प्रस्तर -1 (ख) | विश्राम गृह में कार्यरत सैनिक अधिकारी/सैनिक, पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त उपलब्धता की स्थिति में सामान्य पर्यटक भी अधिवास कर सकेंगे। | विश्राम गृह में सेवारत सैनिक अधिकारी/अन्य रैंक, पूर्व सैनिक, अर्द्ध सैनिक बलों के पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उपलब्धता की स्थिति में सामान्य पर्यटक भी अधिवास कर सकेंगे। |

भवदीय,

(डॉ रणबीर सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या 606 // XVII-5 / 14-29(सै0क0) / 2002 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, देहरादून ।
6. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, फोटोलियो प्रेस, रूड़की हरिद्वार को उक्त संशोधित नियम की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित कर नियम की 50 प्रति शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0एस0 माकुनी)  
अनु सचिव ।